अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

सी190 हिंसा आैर उत्पीड़न कन्वेंशन (2019)

आई. एल. ओ. सी190 क्या है ?

21 जून 2019 को अंतराश्ट्रीय श्रम सम्मेलन ने कन्वेंशन संख्या 190 – हिंसा और उत्पीड़न और साथ में सिफारिश संख्या 206 को पर्याप्त बहुमत से अपनाया।

यह कन्वेंशन और सिफारिश श्रम की दुनिया में हिंसा और उत्पीड़न पर बनाया गया पहला अंतरराष्ट्रीय मानक है। यह कन्वेंशन काफी प्रगतिशील और अभूतपूर्व है जो बदलते काम के परिवेश और हिंसा एवं उत्पीड़न के मुख्य बिंदुओं को ध्यान रखते हुये बनाया गया है।

आई. एल. ओ. सी190 क्यों महत्वपूर्ण है ?

श्रम की दुनिया में हिंसा और उत्पीड़न :

- समान अवसरों में बाधा डालता है, मर्यादित रोज़गार के लिए अस्वीकार्य और अयोग्य है
- मानव अधिकारों का उल्लंघन या दुरूपयोग है
- व्यक्ति के स्वास्थ्य, मान–सम्मान, पारिवारिक एवं सामाजिक वातावरण पर प्रभाव डालता है
- श्रम बाज़ार में व्यक्तियों, खासतौर से महिलाओं के अवसर पर बाधा डालता है, उनकी पहुँच सीमित करता है और उनकी प्रगति को रोकता है
- स्थिरता के लिए अयोग्य है, कार्य संबंधों को, उत्पादकता और प्रतिष्ठा को हानि पहुंचाता है

आई. एल. ओ. सी190 किसकी रक्षा करता है ?

यह कन्वेंशन श्रम की दुनिया में श्रमिकों और अन्य व्यक्तियों की रक्षा करता है :

- कर्मचारी – राष्ट्रीय कानून और पद्धति के तहत परिभाषित
- सभी कार्यरत व्यक्ति – संविदा अथवा बिना संविदा के
- प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे व्यक्ति जिनमें इंटर्न और अप्रंटिस समेत
- वो श्रमिक जिनका रोज़ग़ार समाप्त कर दिया गया हो
- स्वंयसेवी
- नौकरी ढूंढने वाले और आवेदक
- वो व्यक्ति जो नियोक्ता की अधिकार, जिम्मेदारियों और कर्तव्यों का निर्वाह कर रहे हों

श्रम की दुनिया किसे कहते हैं ?

- कार्यस्थल
- सार्वजनिक और निज़ी स्थान, जहॉ काम करने का स्थान हो
- वो स्थान जहॉ श्रमिक को मानदेय दिया जाता हो, वो विश्राम करता हो या भोजन
- करता हो
- ऐसे स्थान जहॉ शौचालय, कपड़े बदलने या धोने की सुविधायें हों
- कार्य से संबंधित यात्राएं, प्रशिक्षण, कार्यक्रम या सामाजिक गतिविधियॉ
- कार्य से संबंधित संचार
- नियोक्ता के द्वारा प्रदान किया गया आवास
- कार्य स्थल से आने–जाने की यात्रा

हिंसा और उत्पीड़न क्या है ?

हिंसा और उत्पीड़न – अस्वीकार्य व्यवहार और आचरण को दर्शाता है, धमकियॉं, चाहे एक बार घटना हो या दोहराई गई हो, जिसके परिणाम स्वरूप शारिरिक, मान. सिक, यौन या आर्थिक नुकसान हो या उसकी संभावना हो, जिसमें लिंग आधारित हिंसा और उत्पीड़न शामिल हैं।

बी. डब्ल्यू. आई. के क्षेत्रों में हिंसा और उत्पीड़न का क्या प्रभाव पड़ता है ?

बी. डब्ल्यू. आई. क्षेत्रों में श्रमिक खासतौर से महिला श्रमिकों को कार्यस्थल पर हिंसा और उत्पीड़न का सामना करना पड़ता है। महिला श्रमिक जो लिंग आधारित भेदभाव और हिंसा को समाप्त करने के लिये आवाज़ उठाती हैं उनको अक्सर रूढ़िवादि सोच का सामना करना पड़ता है। अक्सर महिलाओं को यौन उत्पीड़न या लिंग आधारित हिंसा को बढ़ावा देने के लिये दोषी ठहराया जाता है, जबकी वास्तविकता यह है कि महिला ही इसकी पीड़िता होती हैं। पीड़िता हिंसा के शिकार होने के बावजूद अक्सर यह नहीं समझते कि दुर्व्यवहार करने वालों की हरकतें अस्वीकार्य हैं, बल्कि वे खुद को दोषी मानते हैं। इसके परिणामस्वरूप योथचित कार्यवाई के बजाय चुप्पी साध ली जाती है।

अनुसमर्थन का क्या अर्थ है ?

कोई भी कन्वेंशन जब ही लागू होता है, जब दो आई. एल. ओ. सदस्य देश कन्वेंशन की पुष्टि कर देते हैं। कन्वेंशन की पुष्टि करने वाले देश आई. एल. ओ. समिति के विशेषज्ञों की सिफारिशों और सुझावों की समीक्षा के लिये नियमित रिपोर्ट पेश करते हैं। जिन कन्वेंशन की पुष्टि हो गई है और जिन सिफारिशों को मान लिया गया है उनका उद्देश्य है कि संबधित राष्टीय कानून, नियम, विनियम और प्रवर्तन उसके आधारित सुधार लाया जाये। दूसरे शब्दों में, अनुसमर्थन महत्वपूर्ण है पर इसका पूरा प्रभाव तभी पड़ता है जब कन्वेंशन पूर्ण रूप लागू किये जाते हैं और क्रियान्वित किये जाते हैं।

आई. एल. ओ. सी. 190♀ की पुष्टि के लिये श्रमिक संगठन क्या कर सकते हैं ?

प्रत्येक देश में पुष्टि के लिये सक्रिय रूप से अभियान करें

- सोशल मीडिया और अन्य सार्वजनिक प्लेटफार्मों में श्रम की दुनिया में हिंसा और उत्पीड़न के मामलों के बारे में कहानियां साझा करें
- श्रमिक संगठनों के सदस्यों को आई. एल. ओ. सी190♀ श्रम की दुनिया में हिंसा और उत्पीड़न जागरूक और शिक्षित करें
- श्रम की दुनिया में हिंसा और उत्पीड़न के मुद्दे पर एकजुटता और संगठित करना
- कार्यस्थल पर हिंसा और उत्पीड़न के मुद्दे के हल के लिये उपयुक्त ढांचां स्थापित करना

आई. एल. ओ. के अनुसमर्थित कन्वेंशन निम्नलिखित वेब लिंक पर पाये जा सकते है :
https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:11300:0::NO:11300:P11300_INSTRUMENT_ID:3999810:NO

स्त्रोत : सी. 190 पर आई. एल. ओ. सूचना सामग्री

Building and Wood Workers' International
Route des Acacias 54
CH-1227 Carouge GE
Switzerland

Tel.: +41 22 827 37 77
Fax: +41 22 827 37 70
Email: info@bwint.org
URL: www.bwint.org

BWI
Building and Wood Workers' International
www.bwint.org

AMANDLA! POWER TO THE WOMEN